

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1756
13 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों में हताहतों की संख्या

1756. डा. नरेन्द्र जाधव:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की सहायक कंपनियों में विगत पांच वर्षों में कितने कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई है;
- (ख) विगत पांच वर्षों में कर्मचारियों और संविदा कामगारों को दी गई अनुग्रह राशि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कार्यस्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच शुरू की गई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ड.) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान सुरक्षा और बचाव प्रभाग (डिविजन) में सुधार लाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क): सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एकमात्र प्रचालनरत सहायक कंपनी है। सेल की सहायक कंपनी, एसआरसीएल में विगत पाँच वर्षों के दौरान श्रमिकों की रिपोर्ट करने योग्य और घातक दुर्घटनाओं की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (नवंबर तक)
रिपोर्ट करने योग्य	2	1	2	1	5	3
घातक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख): प्रयोज्य कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम/ईएसआई अधिनियम के अनुसार यथा स्वीकार्य मुआवजा/लाभ पात्र श्रमिक को दिए जाते हैं।

(ग) और (घ): सुरक्षा अधिकारी और विभागीय प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से दुर्घटनाओं की जाँच की जाती है। जाँच की सिफारिशों के आधार पर, दुर्घटनाओं के कारण और किए गए उपचारात्मक उपायों की चर्चा मासिक सुरक्षा समीक्षा बैठक में पारी (शिफ्ट) श्रमिकों के साथ की जाती है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। मशीनें, जिनमें प्रेसेस, फोर्कलिफ्ट्स, कन्वेयर बैल्ट्स, एलिवेटर, टूल और टैकल्स आदि शामिल हैं, की जाँच कारखाना निरीक्षक द्वारा अनुमोदित तीसरे पक्ष (सक्षम व्यक्ति) द्वारा की जाती है।

(ङ) और (च): इस्पात मंत्रालय ने देश में लौह और इस्पात क्षेत्र के सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए वर्ष 2019-20 में 25 सुरक्षा दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया है। हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसे तैयार किया गया है और कार्यबल के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लौह एवं इस्पात निर्माण उद्योग के संभावित खतरों और दुर्घटनाओं को कम करने हेतु अपनाए जाने वाले आवश्यक उपायों की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
